8

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 25/2022 बउनवानी भौरीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार वजीरपुर
पुत्र श्री किशन लाल जाटव निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर

GCMS No-2022/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.12.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. ग्राम रायपुर मे आबादी भूमि कन्वर्ट करवाने बाबत एवं श्मशान भूमि आवंटन करवाने एवं अम्बेडकर परिसर भूमि आवंटन करवाने के लिए किस व्यक्ति ने आवेदन पेश किया, आवेदक द्वारा कौनसे अधिकारी को कौनसी तारीख मे पेश किया और कौनसे अधिकारी ने आपको आदेश किया आवेदक का पूरा विवरण तथा जिस अधिकारी ने आदेश दिया तथा जिस पर प्रस्ताव आप द्वारा तैयार किये गये। आपके कार्यालय मे आवेदक का प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारी को कब प्राप्त हुआ। आपने कौनसी तारीख को प्रस्ताव पेश किये उन प्रस्तावो की प्रमाणित प्रति आवेदक व अधिकारी का विवरण लिखित मे उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू.अ./2021/74 दिनांक 2.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी थी किन्तु उक्त अपील के संदर्भ में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ग्राम रायपुर में आबादी विस्तार के प्रस्ताव जरिये पत्रांक 1490 दिनांक 4.8.2021 से एवं श्मशान हेतु प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक 1491 दिनांक 4.8.2021 से तथा अम्बेडकर परिसर के लिए पार्क की भूमि का प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक 1427 दिनांक 26.7.2021 से उपजिला कलेक्टर को भिजवाया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट को वांछित सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.12.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित होने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को तीनो प्रस्तावों के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। यदि अपीलान्ट उक्त प्रस[illegible]कारी प्राप्त करना चाहता है तो उक्त तीनो प्रस्तावों की प्रमाणित प्रति लोक सूच[illegible]अधि[illegible]ी एवं तहसीलदार वजीरपुर के कार्यालय में नियमानुसार शुल्क जमा [illegible] प्राप्त क[illegible]कता है। लोक सूचना अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि [illegible] की प्र[illegible] प्रति चाहे तो नियमानुसार उपलब्ध करवा[illegible] के साथ अपील अ[illegible] का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:17:13 IST
Reason: SelfAttested